गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.06.2022 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.06.2022 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 आलोक चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो0 एस.एस. सिंह	सदस्य
4.	प्रो0 मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
5.	प्रो0 एल.व्ही.के.एस. भास्कर	सदस्य
6.	प्रो0 व्ही.एस. राठौर	सदस्य
7.	प्रो0 डी.एन. सिंह	सदस्य
8.	प्रो0 टी.व्ही. अर्जुनन	सदस्य
9.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
10.	प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
11.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
12.	डॉ0 एस.के. प्रजापति	सदस्य
13.	डॉ0 बी.आर. रावटे	सदस्य
14.	प्रो0 प्रदीप शुक्ला	विशेष आमंत्रित
15.	डॉ0 एम.एन. त्रिपाठी	विशेष आमंत्रित
16.	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

1. प्रो0 प्रवीण कुमार मिश्रा
2. प्रो0 बी.एन. तिवारी
3. डॉ0 आर.के. चौबे

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र. 01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 10.06.2022 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.05.2022 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 13.04.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 13.04.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि शैक्षणिक सत्र 2022–23 में सीयूईटी के माध्यम से होने वाले प्रवेश के लिए ऑन लाईन काउंसिलिंग का कार्य समर्थ सॉफ्टवेयर के माध्यम से सम्पन्न किया जाय।

23/06/2022 23/06/2022

विषय क्र. 03 **अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 16.06.2022 के कार्यवृत्त पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 16.06.2022 के कार्यवृत्त एवं अनुशंसाओं का निम्नानुसार संशोधन के साथ अनुमोदन किया गया :–

1. स्नातक स्तर के कार्यक्रमों (निम्न बिन्दु–2 के कार्यक्रमों को छोड़कर) के लिए सीट संख्या विगत वर्ष के समान ही रखा जाय।
2. बी.कॉम–500, बी.ए.एल.एल.बी.–120, बी.कॉम.एल.एल.बी.–120, बी.पी.एड.–100, बी.एससी. फॉरेन्सिक साईंस–75, बी.एस.डब्ल्यू.–75,
3. स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रमों में सीट संख्या प्रस्तावानुसार 60 की जाय तथा एम.ए. अंग्रेजी–65 रखा जाय।

विषय क्र. 04 **अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 22.06.2022 के कार्यवृत्त पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 22.06.2022 के कार्यवृत्त एवं अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय तथा प्रस्तावानुसार शोध विनियम में संशोधन संबंधी कार्यवाही सम्पन्न करायी जाय।

विषय क्र. 05 **मानव संसाधन विकास केंद्र के निदेशक पद के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त नवीन निर्देशानुसार कार्यवाही किये जाने पर विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि यू.जी.सी. के दिशा–निर्देशों के अधीन प्रस्तावानुसार जारी विज्ञापन से निदेशक, मानव संसाधन विकास केन्द्र के पद को विलोपित कर दिया जाय तथा आवेदकों को जमा शुल्क लौटा दिया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि मानव संसाधन विकास केन्द्र हेतु विज्ञापित सहायक प्राध्यापक (सहायक निदेशक) के पद को भी विलोपित कर दिया जाय तथा आवेदकों को जमा शुल्क लौटा दिया जाय।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि पद विलोपित किये जाने संबंधी शुद्धि पत्र जारी किया जाय।

विषय क्र. 06 **राष्ट्रीय सेवा योजना पाठ्यक्रम को AEC के बजाय SEC के रूप में मान्य किये जाने एवं इस पाठ्यक्रम के सभी विभागों के प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए अनिवार्य विषय के रूप में मान्य किये जाने पर विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में इस विषय को स्थगित रखा जाय। डॉ0 दिलीप झा बैठक में हुई चर्चानुसार प्रस्ताव तैयार करेंगे एवं यथोचित प्रस्ताव विद्यापरिषद की स्थायी समिति के आगामी बैठकों में प्रस्तुत करेंगे।

23/06/2022 23/06/2022

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र.01 विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022–23 से संचालित होने वाले स्व–वित्तीय योजना कार्यक्रमों को शासित करने के लिए अध्यादेश प्रारूपण हेतु समिति गठित की गई है। समिति ने अध्यादेश का प्रारूप प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत प्रारूप पर विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने विचार किया तथा विचारोपरान्त कई आवश्यक संशोधन सुझाये।

चर्चा उपरान्त स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि बैठक में हुई चर्चा अनुसार अध्यादेश प्रारूप में आवश्यक संशोधन कर पुनः प्रारूप प्रस्तुत करने हेतु अध्यादेश प्रारूप प्रारूपण समिति को लौटा दिया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.03.2022 में पूरक विषय क्रमांक–2 में सुसंगत विषय पर यह भी संशोधन कर लिया जाय कि स्व–वित्तीय योजना के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों से प्राप्त कुल धनराशि (शुल्क) का वितरण इस प्रकार होगा कि विश्वविद्यालय को 30 प्रतिशत तथा 70 प्रतिशत विभाग को मिले।

अ.अ.वि.क्र.02 बैठक के दौरान विश्वविद्यालय में शोधरत् शोधार्थियों तथा Principal Investigator को प्राप्त होने वाले आकस्मिक अनुदान/निधी तथा उसके व्यय के उपरान्त देयक प्रस्तुतीकरण एवं भुगतान की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि शोधार्थियों तथा Principal Investigator को प्राप्त होने वाले आकस्मिक अनुदान/निधी तथा उसके व्यय के उपरान्त देयक प्रस्तुतीकरण एवं भुगतान की प्रक्रिया निर्धारण हेतु दिशा–निर्देश प्रारूप तैयार करने समिति गठित की जाय। समिति के सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

23/06/2022 — **कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव**

23/06/2022 — **कुलपति/अध्यक्ष**